तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज
18-7-17	उभय पक्ष नुपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 12-9-17 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल
12-9-17	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकेन उपस्थित। वकील प्रार्थीया विपक्षी सं० 1 व 2 की प्र.न. तलबी बाबत प्रोसेस खर्चा कायदा पेश करना चाहते हैं. इसका किया जाता है बावजूद विपक्षी सं० 1 व 2 की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 13-10-17 को पेश हो। आगामी दिनांक तक जारी कार्यवाही निषेधाज्ञा बढ़ाई जाती है।
13-10-17	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन उपस्थित। P.O. सा० राजकीय कार्य से भीलवाड़ा पधारे हैं। बाद में विपक्षी सं० 1 व 2 की तलबी व कायम आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 24-10-17 को पेश हो। B.O.
धारा 212 में कोई कार्यवाही नहीं चाहती हूं। नि[illegible] खातुन बानु I.d. by me, Adv 24/10/17 24-10-17	पत्रावली पेश हुई। वादिया की ओर से एक प्रार्थना पत्र O23 R1 व धारा 151 जा०दी० का प्रस्तुत किया। जिसे शामिल पत्रावली किया जाकर नकल वकील विपक्षी सं० 3,4 व 5 को दी गयी। प्रार्थीया की ओर से दोनकार पत्र की राजस्व भीलवाड़ा एडवोकेट के समक्ष बाद में प्रस्तुत किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थीया के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीया की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार प्रार्थना पत्र निस्तारण किये जाने की कार्यवाही जबकि वकील विपक्षी सं० 3,4 व 5 के प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
का जवाब नहीं देकर सीधी बहस करनी चाही। बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र O 23 R 1 व धारा 151 सी.पी.सी. को स्वीकार किये जाने की इच्छा करते हुए कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गयी। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया। न्याय हित में वकील प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र O23R1 व धारा 151 सी.पी. का स्वीकार किया जाकर तथा वकील प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में कोई कार्यवाही नहीं चाहने के कारण प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर विड्रोल करने, उक्त नहीं करने के कारण इसी स्तर पर लम्बित किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर हस्ब बाद के काम कोलान की जावे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा	